

दिनांक

आज्ञा पत्र

58/2011

11.1.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित पीठारक्षीन अधिकारी महोदय आज... 30.1.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... 12.04.22 को पेश हो।

12.4.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित पीठारक्षीन अधिकारी महोदय आज... 30.5.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... 12.7.22 को पेश हो।

12.7.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित पीठारक्षीन अधिकारी महोदय आज... 25.11.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... 10.01.23 को पेश हो।

10.01.23

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आऊ न्यायिक कार्य स्थापित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... 29.01.23 को पेश हो

29.01.23

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित पीठारक्षीन अधिकारी महोदय आज... 21.09.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... 10.10.22 को पेश हो।

10.10.22

पत्रावली पेश। अपीलाट/रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने जाहिर किया है कि यह अपील धारा 212 में पारित आदेश के विरुद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील अपीलाट प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तिरजीब तकमील वाखिल वफातर हो।

भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प बुन्दुगु)

श्रीमान्त्री भूत वाड 25 निर्जय हो गजा है, इतारे पद अपील चलाना रहे चाहे। मा गेण्डु

